रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 333] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 1984/आषाढ़ 25, 1906
No. 333] NEW DELHI, MONDAY, JULY 16, 1984/ASADHA 25, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1984

आदेश

का. आ. 513(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 447(अ), तारीख 26 जून, 1982 को अधिक्रांत करते हुए

13.00 रु. प्रति किलोग्राम को उस अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है जिस पर स्वदेश में विनिर्मित डेक्सट्रोस एन्हाइड्रस का विक्रय किया जाएगा ।

[सं. 8(19)/82-औषधि-2]

ई. एन. मूर्ति, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 16th July, 1984

ORDER

S.O. 513(E).—In excercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979 and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and (Fertilizers) No. S.O. 447(E), dated the 26th June, 1982, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the Central Government hereby fixes Rs. 13.00 per kg. as the maximum sale price at which Dextrose Anhydrous manufactured indigenously shall be sold.

[No 8(19)/82-Drugs. II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984